न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 09 / 2021 / जैसलमेर

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. सबलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बांकाणा धारासर की जगह 1/1श्रीमती हरकंवर पत्नी रायसिंह 1/2धापूदेवी पत्नी भंवरसिंह 1/3धाऊदेवी पत्नी नरपतसिंह जाति पुरोहित निवासी खूमसिंह नगर(झाबरा) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 2. किशनसिंह पुत्र मानसिंह 3. खुमाणसिंह पुत्र मानसिंह 4. समदा बेवा मानसिंह जाति पुरोहित निवासी बांकाणा धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 5. बांकसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बांकाणा धारासर की जगह 5/1जगदीशसिंह पुत्र रायसिंह 5/2दरियाकंवर पत्नी घेवरसिंह जाति पुरोहित निवासी खूमसिंह नगर (झाबरा) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		1. भेरसिंह पुत्र अगरसिंह 2. कलसिंह पुत्र भूपसिंह 3. मुल्तानसिंह पुत्र मानसिंह जाति पुरोहित निवासी बांकाणा धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 4. हरीसिंह पुत्र अचलसिंह 5. अचलसिंह पुत्र लालसिंह कायम मुकाम 5/1हरीसिंह पुत्र अचलसिंह 5/2ताजूसिंह पुत्र अचलसिंह 5/3धनसिंह पुत्र अचलसिंह 5/4कर्णसिंह पुत्र अचलसिंह 5/5खेतसिंह पुत्र अचलसिंह 6. तिलसिंह पुत्र लालसिंह 7. नखतसिंह पुत्र लालसिंह 8. अनोपसिंह पुत्र लालसिंह 9. पोकरसिंह पुत्र सगतसिंह 10. गोपालसिंह पुत्र सतगसिंह 11. चन्दनसिंह पुत्र सगतसिंह 12. मगसिंह पुत्र सगतसिंह 13. लूणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 14. हरचंदसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 15. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह 16. पदमसिंह पुत्र रूपसिंह 17. कानसिंह पुत्र रूपसिंह 18. तगसिंह पुत्र रूपसिंह 19. मोतीसिंह पुत्र रूपसिंह जाति पुरोहित निवासी खूमसिंह नगर(झाबरा) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 20. अकलो बेवार अमानसिंह कायम मुकाम 20/1कंवरी पुत्री अमानसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी थोब तहसील ओसिया जिला जोधपुर 20/2पृथ्वीसिंह गोदपुत्र अमानसिंह जाति पुरोहित निवासी खूमसिंह नगर (झाबर) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 21. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फलसूण्ड जैसलमेर 22. शाखा प्रबंधक यूको बैंक देचू तहसील देचू जिला जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2018 बजानवान भेरसिंह बनाम सबलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री करनाराम चौधरी एवं श्री पुरूषोतम सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश नारायण सारण की तरफ से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 5/3,6,11,13,20/2 की तरफ से।

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण व अपीलांटगण की संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि मौजा खूमसिंह नगर(झावरा) में खेत खसर संख्या 108 रकबा 326.07 बीघा व खसरा संख्या 96 रकबा 32.11 बीघा का आया हुआ था। उक्त भूमि अपीलांटगण व उतरदातागण को पुश्तैनी होना बताया तथा सेटलमेंट से हिस्से अनुसार कब्जा काश्त बताया। उतरदातागण व अपीलांटगण मुल्तानसिंह जिनका उपरोक्त वर्णित अराजी में 1/2 हिस्सा है तथा शेष उतरदातागण का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि में सम्पूर्ण रकबा में 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 03 का व सम्पूर्ण रकबे में 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा उतरदाता संख्या 01 का व 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा उतरदाता संख्या 2 का होना कथन किया है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में वक्त से सेटलमेट में अपना नाम दर्ज होने का भी कथन किया है। सेटलमेंट के बाद उतरदातागण ने अपना नाम उक्त आराजी में लिपिकीय भूल या अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 06 के पूर्वज शंकरसिंह ने बदनियति से अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया तथा अनुतोष यह चाहा कि उक्त आराजी में 1/2 हिस्से में 2/3 हिस्सा उतरदातागण संख्या 01 व 02 का घोषित किया जावे। हस्तगत वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 01.08.2019 को अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 03 के सम्मन रजिस्ट्री से भेजे गये, कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात दिनांक 22.08.2019 को अधिवक्ता वादी द्वारा अर्ज किया गया कि वह पक्षकार जोड़ने का प्रार्थना–पत्र पेश करना चाहते है इसलिये मौका दिया जावे, जिस पर मौका देकर पत्रावली अग्रिम तारीख में नियत की गई परन्तु आदेशिकाओ के अवलोकन से कोई पक्षकार नहीं जोड़ा गया। दिनांक 24.02.2022 को यह वाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर पत्रावली फैसल शुमार कर दी गई। दिनांक 12.03.2021 को वकील

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

विजयदान ने वादीगण की ओर से आदेश 09 नियम 09 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश कर वाद रेस्टोर करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर यह वाद पुनः दर्ज कर दिनांक 15.04.2021 को अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल अनुमानों, कयासों व कल्पनाओं के आधार पर पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामीली नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को पुनः बरामद करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जिसकी सूचना अपीलांट को दिये बिना वाद को रिस्टोर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पुनः संस्थित करके प्रतिवादीगण को सूचित करने का आदेश भी किया है परन्तु यह भूल की है कि यह वाद दर्ज करने के बाद का आदेश दिया उसके बावजूद भी पक्षकारान को कोई नोटिस नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद पेश कर अपीलाधीन आराजी को पैतृक बताकर अपनी खातेदारी में गलत रूप से घोषित करवाई है जबकि वास्तव में विवादित भूमि से शिवसिंह के पिरवार के अलावा किसी और का कोई लेना–देना नहीं था और शिवसिंह के वारिसान अपनी खातेदारी की भूमि पूर्व में भी बेच चुके है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में विवादित भूमि केवल मात्र खरीददारान के ही स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की है, किसी और का कोई लेना–देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के बयान भी नहीं लिये है तथा निर्णय में दस्तावेजात को 1 ला 12 को प्रदेशित करने का अपने निर्णय में अंकन किया है, यह दस्तावेजात किस आधार पर व किसने प्रदर्शित करवाये है, यह आदेशिकाओं व निर्णय से स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र एक दावा पेश करने के आधार पर इस वाद का निर्णय किया गया है। इस वाद में न तो कोई साक्ष्य पेश हुआ और न ही कोई सबूत पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत प्रतिवादी संख्या 03 व 23 के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकारों के कायम मुकाम को

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रिकॉर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना–पत्र आदेश 06 नियम 17 सी पी सी का पेश कर वाद पत्र के अनुतोष में जो खसरा संख्या 96 रकबा 32.11 बीघा का अनुतोष चाहा, उसे वाद से विड्रो कर लिया परन्तु कोई संशोधित वाद पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2020(1) Page 01
RRT 2001(1) Page 15
RRT 2011(1) Page 315
RRT 2001(1) Page 4
RRT 2003(2) Page 1346
RRD 2002 Page 580
DNJ 2007(SC) Page 686
RRT 2005(2) Page 1461
DNJ (SC) 2009 Page 601
AIR 2001 Page 314
AIR 2009 SC Page 2367
AIR 2005 SC Page 3799

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि देवीसिंह के दो पुत्र दानसिंह व ईश्वरसिंह थे और दानसिंह के लक्ष्मणसिंह पुत्र थे और ईश्वरसिंह के लच्छीराम पुत्र थे तथा लच्छीराम के पुत्र सिमरथसिंह है, लक्ष्मणसिंह उर्फ लिछमणसिंह उर्फ लछमणा के वारिसान अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 03 है। सिमरथसिंह के वारिसान लालसिंह, सगतसिंह , अर्जुनसिंह, रूपसिंह, अमानसिंह थे तथा लालसिंह के वारिसान उतरदाता संख्या 04 से 08, सगतसिंह के वारिसान उतरदाता संख्या 09 से 12, अर्जुनसिंह के वारिसान उतरदाता संख्या 13 व 14, रूपसिंह के वारिसान उतरदाता संख्या 15 से 19, अमानसिंह के वारिसान उतरदाता संख्या 20/1 और पृथ्वीसिंह गोदपुत्र अमानसिंह है। अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 03 और उतरदाता संख्या 01 व 02 के राजस्व ग्राम खुमसिंह नगर के खेत खसरा संख्या 108 रकबा 326.07 बीघा भूमि में अंकित 1/2 हिस्से के संबंध में लिखित बहस के पैरा नं. एक में खानदानी सजरे में वर्णित लक्षमणसिंह के सम्पूर्ण वारिसान उसके तीनों पुत्र सिवसिंह, भूपसिंह उर्फ भोपालसिंह, अगरसिंह के वारिसान का 1/3 व 1/3 बराबर हक व हिस्सा है, क्योंकि सिमरथसिंह के सम्पूर्ण वारिसान उतरदाता संख्या 04 से 20 का उक्त खसरे की भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है और सभी सह खातेदार है। हम सिमरथसिंह के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वारिसान उतरदाता संख्या 04 से 20 होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों को स्वीकार करते है तथा 1/2 हिस्से में उतरदाता संख्या 01 व 02 का सिवसिंह के वारिसान के साथ कब्जा काश्त है, जो कब्जा काश्त सेटलमेंट के पूर्व, सेटलमेंट के समय और आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। उतरदाता संख्या 04 से 20 सभी एक ही परिवार के सदस्य है जिनके द्वारा की गई स्वीकृति विचार मे लिया जाना न्यायसंगत है। अपीलांटगण और उतरदाता संख्या 01 से 20 के पूर्वज देवीसिंह के समय की जागीरी, पैतृक भूमि सेटलमेंट के ग्राम आवरा वर्तमान राजस्व ग्राम खुमसिंह नगर पटवार क्षेत्र आवरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माडवा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 108 रकबा 326.07 बीघा भूमि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 20 की संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आई हुई है जिसमें उतरदाता संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज नहीं है जो खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श–1 है। इसके अलावा लिक्षमणसिंह के समय के ग्राम खुमसिंह नगर तहसील भणियाणा के खेत खसरा नं. 96 रकबा 32.12 बीघा भूमि की खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श–2 है जिसमें सिवसिंह, भेरसिंह व कलसिंह तीनो का नाम खातेदारी में दर्ज है और लक्षमणसिंह के समय के ग्राम वांकाणा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के खसरा नं. 04, 05, 09, 10, 11 कुल रकबा 293 बीघा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आई हुई है जो जमावंदी प्रदर्श–10 है जिसमें सिवसिंह के वारिसान, कलसिंह उर्फ कलाराम व भेरसिंह उर्फ भेरा तीनो भाईयो का नाम खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व दानसिंह, लक्षमणसिंह, भूपसिंह, अगरसिंह तथा ईश्वरसिंह, लच्छीराम, सिमरथसिंह का स्वर्गवास हो गया था और वक्त सेटलमेंट कलसिंह पुत्र भोपालसिंह और भेरसिंह पुत्र अगरसिंह दोनो नावालिग थे और लक्षमणसिंह के तीसरे पुत्र शिवसिंह, जो उतरदाता संख्या 01 व 02 के सगे चाचा थे, वक्त सेटलमेंट लक्ष्मणसिंह के संयुक्त परिवार के मुखिया व कर्ता खानदान थे। ग्राम झावरा तहसील पोकरण वर्तमान तहसील भणियाणा वर्तमान राजस्व ग्राम खुमसिंह नगर खसरा संख्या 108 रकबा 326.07 बीघा भूमि में अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 03 के पूर्वज शिवसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह ने सेटलमेंट वालो से मिलावट कर उतरदाता संख्या 02 कलसिंह पुत्र भोपालसिंह और उतरदाता संख्या 01 भेरसिंह पुत्र अगरसिंह दोनो के नाबालिग होने का लाभ उठाते हुए उनका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाकर अपने अकेलो का नाम उक्त खसरे की भूमि में 1/2 हिस्सा में दर्ज करवा दिया जबकि उतरदाता संख्या 01 व 02 का नाम भी शिवसिंह के साथ 1/2 हिस्सा में दर्ज होना चाहिये था जो उतरदाता संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज नही हुआ तथा शेष रही भूमि में 1/2 हिस्सा में सिमरथसिंह के चार पुत्रो रूपसिंह, अमानसिंह, अर्जुनसिंह, सगतससिंह के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

नाम पर्चा लगान में दर्ज हुआ। अपीलाधीन आराजी जागीरी के समय पक्षकार के पूर्वजो की खुदकाश्त की भूमि थी वे ही उसके जागीरदार थे। उपरोक्त खसरा नं. 108 रकबा 326.07 बीघा की भूमि को किसी भी पक्ष ने खरीद नहीं की थी जिस वजह से वह भूमि स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक भूमि थी व है। अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 20 का संयुक्त कब्जा उपरोक्त खरारा नं. 108 की भूमि पर शिवसिंह के साथ पीढीयों से सेटलमेंट से पूर्व, सेटलमेंट के समय, उसके पश्चात आज 70 वर्षों से अधिक समय से, खुल्लमखुल्ला, शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक टोक के लगातार चला आ रहा है। वादीगण द्वारा पेश वाद का उतरदाता संख्या 06, 09, 14 से 17, 19 और उतरदाता संख्या 20 ने अपने अधिवक्ता के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र को स्वीकार कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकवाली जवाबदावा पेश किया और शेष रहे अन्य अपीलांटगण व उतरदातागण बावजूद तामीली के जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाधीन आराजी का बेचान होने पर खरीददारों का बेचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 159 से 161 दिनांक 24.10.2019 को भरे गये तब जमाबंदी में उनका नाम दर्ज हुआ जो दौराने दावा भरे गये है। दौराने दावा रिकॉर्ड में पिरवर्तन हुआ है जिस वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2021 से उक्त खरीददार व पाबन्द व जिम्मेवार होगे क्योकि धारा 52 टी पी एक्ट लागू होगा। उक्त खरीददारों ने दौराने दावा स्थगन आदेश होते हुए भी उसमें अनुमति प्राप्त कर दिनांक 22.10.2018 को अपने नाम म्यूटेशन दिनांक 24.10.2018 को भरवाया तब अधीनस्थ न्यायालय में उन्हे वाद व आवेदन की कार्यवाही चलने की जानकारी हो गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारीज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

CCC 2001(3) Page 274
RJT 2022(1) Page 391
RRT 2013(1) Page 188
CCC 2011(4) Page 738
RRT 2013(1) Page 188
DNJ 2021(1) Page 545
RRD 1983 Page 310

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

RRD 1997 Page 380
RRT 2008 Page 154
RRT 2016-17(Supp.) Page 624
AIR 2007 RAJ Page 73
CCC 2002(2) Page 137
CCC 2022(1) SC Page 317
RRT 2014(1) Page 299
RRT 2017(2) Page 982
RRT 2013(1) SC Page 598
RLW 2012(4) Page 3050

वकील रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 5/3,6,11,13,20/2 ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है, जिसमें वादीगण/रेंस्पोडेंट का जन्म से हक नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारीज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दिनांक 20.04.2022 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा एक अपील पेश की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात पेश किये जा रहे है जो अपील निर्णय के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजात है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 20.04.2022 पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी का लिखित में जबाव पेश कर उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि वर्तमान प्रकरण में वंशवृक्ष महत्वहीन है। वास्तव में विवादित भूमि से शिवसिंह के पिरवार के अलावा किसी और का कोई लेना–देना नहीं था और शिवसिंह के वारिसान अपनी खातेदारी की भूमि पूर्व में भी बेच चुके है। ऐसी स्थिति में आपकी तारीख में विवादित भूमि केवल मात्र खरीददारान के ही स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की है, किसी और का कोई लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये गये है वह अधिकतर दस्तावेज पूर्व में ही दावे की पत्रावली में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

मौजूद है तथा शेष दस्तावेज महत्वहीन व गलत है। अतः रेस्पोडेंट का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी पर बहस सुनने एवं एवं प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण से संबंधित है जो प्रकरण के अंतिम निस्तारण में सहायक है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को पत्रावली पर पेश करना अनुज्ञात किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने व पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांटगण का जबावदाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात पुनः बरामद करने हेतु पेश आवेदन में भी अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया, तथा मूल वाद पुनःबरामद होने पर मूल वाद में किसी प्रकार के कोई नोटिस अपीलांटगण के नाम से जारी नहीं हुऐ जबकि सूचना दिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत पक्षकारों के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। मूल दावा अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त निर्णय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंकित किया गया इससे अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में पारित किया गया साफ प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

किया गया। उपरोक्त विवेचन, अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत के आलोक में तथा अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2018 बअनवान भेरसिंह बनाम सबलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई, साक्ष्य सबूत एवं जबाव दावा पेश करने का समुचित मौका दिया जाकर बाद विस्तृत सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2021 की पालना में भरा गया नामांतकरण संख्या 190 स्वीकृति दिनांक 22.05.2021 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार भणियाणा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी स्थिति बहाल करे। उपरोक्त आदेश की अक्षरस पालना की जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर